न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 96/24 **निर्णय दिनांकः–** 11.03.2025
(जीसीएमएस संख्या 2024/542)

1. पूर्णाराम | पिसरान रेवन्तराम जाति जाट निवासी सुरपुरा
2. हडमानाराम | तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. आदूराम
2. बालाराम
3. प्रभूराम
4. पोकरराम
5. सुरजा
6. भंवरी

| पिसरान रेवन्तराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

7. रेवन्तराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. उप पंजीयक महोदय नोखा जिला बीकानेर।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 25–10–2024
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 25–10–2024 जिसके द्वारा अपीलांट्स का रिसीवर कायम करने का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है, के विरुद्व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सुरपुरा के खेत खसरा नम्बर पुराना 637/284 तादादी 31 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 156 तादादी 66 बीघा 5 बिस्वा जोकि अपीलांट्स के पिता दादा ताजा वल्द सरदारा की खातेदारी भूमि रही है। अपीलांट्स के दादा ताजा वल्द सरदार के स्वर्गवास के उपरान्त आराजी जैर नये खसरा नम्बर 306 तादादी 10.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 577 तादादी 4.52 हेक्टर भूमि अपीलांट्स के पिता द्वारा अपने नाम दर्ज करवाये जाने पर व आराजी जैर पर अपीलांट्स का बाई बर्थ हक व हिस्सा निहित होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी आराजी जैर का बेचान किये जाने की स्थिति में अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ एक प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवत नियुक्त करने की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि आराजी जैर का बेचान दौराने स्थगन किया गया है तथा उक्त कार्यवाही स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स की उक्त कार्यवाही से यह तथ्य जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आराजी जैर के स्वरूप को परिवर्तित किया जा रहा है। उपरोक्त स्थिति एवं आराजी जैर पर पक्षकारों के कब्जे काश्त के स्वरूप में परिवर्तन की संभावना को ध्यान में रखते हुए रिसिवर नियुक्त करनाही सर्वोतम विकल्प रहता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति के बावजूद भी अपीलांट्स का रिसिवर प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होना अभी शेष है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य के निर्धारण से पूर्व यदि वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द किया जाता है अथवा मौके व राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हुए

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स को मौके से बेदखल किया जाता है तो वादपत्र का मकसद ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि के बाबत् तहसीलदार, नोखा को रिसिवर नियुक्त करने के आदेश प्रदान कियेा जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 1999 पेज 418, आरबीजे 1997 पेज 542 व आरएलडब्ल्यू 2005 पार्ट II के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट्स के अधिकारों का निर्धारण वादपत्र के गुणावगुण पर होना शेष है। वादग्रस्त भूमि के वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 7 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा आराजी जैर से अपीलांट्स का कोई सरोकार नहीं है नाही रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा ब्रिच ऑफ इंजेक्शन किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि का बेचान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया है, जिसे उसका पूर्ण अधिकार हासिल रहा है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही तथा यह पाये जाने पर कि किसी खातेदार को रिसिवर के माध्यम से कानूनन बेदखल नहीं किया जा सकता है, रिसिवर का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत् तरीके से खारिज किया गया है। विधि की भी यह मंशा रही है कि रिसिवर एक कठोरतम उपाय है जिसे फौरी तौर पर कायम नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के अधिकारों को दृष्टिगत् रखते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त करते हुए कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में रेवन्तराम पुत्र ताजाराम बतौर रिकार्डेड खातेदार अंकित है तथा अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक व हिस्सा बनता है तो दावें में साक्ष्य उपरान्त तैय होने है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व रिसिवर नियुक्त किया जाना उचित नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार नहीं होने से अपीलांट्स की अपील खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम सुरपुरा तहसील नोखा के खसरा नम्बर 306 तादादी 10.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 577 तादादी 4.52 हेक्टर भूमि के बाबत् वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियागया। दौराने वाद कार्यवाही अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश करते हुए आराजी जैर के बाबत् रिसिवर नियुक्त करने की मांग की गई, प्रकरण में जहॉ तक रिसिवर कायम किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 का अवलोकन किया। जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि:– Provision for injunction and appointment of a receiver

(a) that any property to which such suit or proceeding relates in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto, or

(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of justice,

the court may grant a temporary injunction and, if necessary, appoint a receiver.

अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अराजी जैर के बाबत रिसिवर नियुक्त किये जाने के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 रेवन्तराम पुत्र ताजाराम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा अपीलांट्स के अधिकारों का निर्धारण वादपत्र में तय होना शेष है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व रिसिवर नियुक्त किया जाना उचित नहीं माना गया है। इस संबंध में न्यायालय का भी अभिमत है कि चूंकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में रेवन्तराम पुत्र ताजाराम के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि रही है तथा वादग्रस्त भूमि के बाबत्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स के अधिकारों का निर्धारण नियमित वादपत्र में होना शेष है। ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस आधार के फौरी तौर पर आराजी जैर के बाबत् रिसिवर नियुक्त किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। विधि में रिसिवर नियुक्त किये जाने को एक कठोरतम उपचार माना गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत रिसिवर नियुक्त किया जाना युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए ही अपीलांट्स का रिसिवर का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट्स की अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 25–10–2024 यथावत बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर